COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES | COURT FEE INDIA एक रुपया ONE RUPEE

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

-1-

प्र0 क्र0———/निग./2008/भिण्ड

1— शिवमंगल सिंह पुत्र प्राग सिंह

2— महिला सरला देवी पत्नी दशरथ सिंह

3— रविन्द्र सिंह पुत्र दशरथ सिंह

4— सोमेन्द्र सिंह पुत्र दशरथ सिंह

5— अरविन्द सिंह पुत्र अयोध्या सिंह

6— शिवराम सिंह पुत्र अयोध्या सिंह

7— रामेन्द्र सिंह

8— विष्णु प्रताप सिंह पुत्रगण जयसिंह

9— महिला विमला देवी पत्नी जयसिंह समस्तस
जाति ठाकुर निवासीगण कस्वा रौन तहसील रोन
जिला भिण्ड (म0प्र0)

— निगरानीकर्तागण

बनाम

1— रामपाल सिंह पुत्र शिवदत्त सिंह

2— मनोज सिंह पुत्र सुखवीर सिंह

3— जितेन्द्र सिंह पुत्र सुखवीर सिंह

4— महिला कमला देवी पत्नी सुखवीर सिंह

5— महिला रामवेटी पत्नी भजवरी सिंह

6— अमन सिंह पुत्र मुनेश सिंह नाबालिग व सरपरस्त
मां महिला किशुपुरा वाली पत्नी मुनेश सिंह

7— महिला किशुपरा वाली पत्नी मुनेश सिंह

8— बावू सिंह पुत्र दिग्विजय सिंह

9 नगरावाली बेवा कल्याण सिंह

10— नरेन्द्र उर्फ भूरे सिंह पुत्र कल्याण सिंह

11— महिला वेटी वाई पुत्री कल्याण सिंह

12— वीरेन्द्र सिंह पुत्र दिग्विजय सिंह

13— महिला कुदोलवाली पत्नी लल्लूसिंह

14— राजेन्द्र सिंह

15— शिवबहाद्धुर सिंह

16— सुरेश सिंह पुत्रगण पुत्तू सिंह

17— अवधेश सिंह

18— नरेश सिंह

19— देवेन्द्र सिंह

कुँवरसिंह कुशवाह
18/12/2008 (एडवोकेट)

क्रमशः——2

R. 1639- [illegible]/08

20— कौशलेन्द्र सिंह पुत्रगण राजेन्द्र सिंह
21 शिरोमणि सिंह पुत्र विश्वेशर सिंह
22— बृजेश सिंह पुत्र विश्वेश्वर सिंह
23— हरेन्द्र सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह
24— महिला ऊषा देवी वेवा रामकुमार
25— सुरेश सिंह
26— किशन सिंह
27— श्याम सिंह
28— मोहन सिंह पुत्रगण रामकुमार सिंह
29— चन्द्रभूषण सिंह
30— सूर्यकुमार सिंह पुत्रगण रघुनाथ सिंह
31— सतेन्द्र सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह
32— हरनारायण सिंह पुत्र बृजनंदन सिंह
33— पूरन सिंह
34— राजेश गिह पुत्रगण बृजनंदन सिंह
35— गहिला कुन्दन वाली पत्नी बृजनंदन सिंह
36— नरेन्द्र सिंह पुत्र शिववरण सिंह
37— महिला सुधा पत्नी जंगबहादुर सिंह
38— महिला सविता पत्नी रविन्द्र सिंह
39— महिला मधु 8पत्नी सतीशपाल पुत्रीण शिववरन सिंह
40— नवीन सिंह
41— प्रवीण सिंह पुत्रगण गजेन्द्र सिंह
समस्त जाति ठाकुर निवासीगण कस्वा रौन वार्ड नं. 7 तहसील रौन जिला भिण्ड ।

———अनावेदकगण

<u>निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 27/2006—07 अपील शिवमंगल सिंह आदि /रामपाल सिंह आदि आदेश दिनांक 19.09.2008 को पारित</u>

माननीय न्यायालय,

निगरानी आवेदन पत्र के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं :—

(1) यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान क्षेत्राधिकार वाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

क्रमशः———3

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1639–दो/08 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.12.2016	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 27/2006–07/अपील में पारित आदेश दिनांक 19–9–08 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक रामपालसिंह द्वारा ग्राम रौन स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 301/1 रकबा 0.115 हैक्टर जो राजस्व अभिलेखों में बंजर दर्ज थी के व्यवस्थापन हेतु आवेदन विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । विचारण न्यायालय, तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 10–5–2000 द्वारा विवादित भूमि का व्यवस्थापन अनावेदक के नाम स्वीकार किया । उकत आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 13–10–06 द्वारा निरस्त की । द्वितीय अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए कहा गया कि प्रकरण में व्यवस्थापन की कार्यवाही विधिवत तरीके से नहीं की गई है । सर्वे नं. 301 के	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

चारों ओर के मेडिया कृषकों को सूचना एवं सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने भी उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित व्यवस्थापन आदेश विधिवत प्रकिया के उपरांत पारित किया गया है । प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें कोई त्रुटि नहीं है अतः उन्हें स्थिर रखा जाना चाहिए ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार कियाएवं अभिलेख का सूक्ष्मता से अवलोकन किया । यह प्रकरण भूमि व्यवस्थापन का है । अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत विज्ञप्ति जारी की तथा पटवारी के कथन लिए है समयावधि में कोई आपत्ति नहीं आने पर भूमि का व्यवस्थापन किया गया है । अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उक्त निष्कर्ष की पुष्टि अभिलेख से होती है ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हो ।

सदस्य